न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :— गगांधर मीणा (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
13/2018	16.01.2018	24.11.2021

उनवान

1. लक्ष्मी देवी पत्नी श्री लालाराम जाति अहीर निवासी ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

—: वादी

बनाम

1. लक्ष्मी पुत्री लेखराम पत्नी सतीश जाति ब्राहमण निवासी ग्राम कान्हाडका तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
2. तहसीलदार कोटकासिम लैण्ड हौल्डर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

.... प्रतिवादीगण

वाद इश्तकरार हक मय दुरूस्ती बमय हुक्म ईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :—

दिनांक :— 24.11.2021

उपस्थिति :—

1— श्री मनोज कुमार, वकील वादी

2— प्रतिवादी स्वय उपस्थित

मिन वादीगण वाद निम्न प्रस्तुत है :—

आराजी खसरा नम्बर 1919/0.6600 है0 वाके ग्राम कान्हडका तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 में स्थित है जिसमें मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2069 खाता नम्बर 32 के अनुसार कमलेश, मुनिया सम्भाग 1/2 हिस्सा व मोहनलाल पुत्र कुडिया 1/2 हिस्सा अंकित है। अर्थात उपरोक्त आराजी के 1/4 भाग की खातेदार मुनिया पुत्री पुरना दर्ज जमाबन्दी सम्वत 2069 में है। जिस आराजी का 1/4 भाग वाद वादिया में विवादित कहलावेगी। विवादित आराजी में से मुनिया पुत्री पूरणा जाति ब्राहमण निवासी ग्राम कान्हडका का 1/4 भाग में 0.1500 हे0 भूमि को मिन वादिया ने मुनिया को समस्त प्रतिफल की राशि अदा कर बाजाप्ता बाकब्जा विक्रय पत्र क्रमांक 2013003440 दिनांक 20.12.2013 के द्वारा खरीद किया हुआ है। खरीद वक्त ही कब्जा उसी रो मौका पर वादिया को सौप दिया था। जिस पर वादिया बरोज बैयनामा दिनांकित 20.12.2013 से आज तक बदस्तूर काबिज व दखिल होकर काश्त करती चली आ रही है। मौके पर मिन वादिया का वास्तविक कब्जा काश्त है। लक्ष्मी पुत्री लेखराम पत्नी सतीश, कमलेश, पुत्री पूरन, मोहनलाल पुत्र कुडिया जाति ब्राहमण निवासी ग्राम कान्हडका तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 ने अदालत श्रीमान में एक राजस्व वाद

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अल

संख्या 529/02 दिनांक 06.11.2002 बअनुवान लक्ष्मी बनाम मोहनलाल का विवादित आराजी सहित दीगर आराजी की बाबत धारा 88, 89, 53, 188 राज0 टी0 ए0 का दायर किया जो वाद न्यायालय श्रीमान से दिनांक 13.08.2004 को आंशिक रूप से खसरा नम्बर 1915 की बाबत डिक्री फरमाया गया था, शेष नम्बरान की बाबरान की बाबत वाद वादिया खारिज किया गया था। जिस निर्णय दिनांक 13.08.2004 की अपील अन्तर्गत धारा 233 आर टी एक्ट के तहत माननीय राजस्व अपीलीय अधिकारी अलवर के यहॉं अपील संख्या 03/2008 लक्ष्मी बनाम मोहनलाल व अपील संख्या 04/2008 बउनवान कमलेश बनाम लक्ष्मी वगैराह दायर की गई। जिनका ईकजाई निर्णय अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अलवर द्वार दिनांक 25.02.2008 को पारित किया गया। जिस निर्णय में अदालत राजस्व अपील अधिकारी अलवर ने स्पष्ट अंकित किया है कि "वादनी ने अपना केस खसरा नम्बर 1991 के बारे मे भी पूर्ण रूप से साबित किया है। लेकिन तहत अदालत ने वादनी का वादद केवल खसरा नम्बर 1915, 1919 की खातेदार पूर्णरूप से साबित है। इसलिये हम तहत अदालतत के निर्णय व डिक्री हस्ताक्षेप करना उचित समझते है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील संख्या 03/2008 बउनुवान लक्ष्मी बनाम मोहनलाल स्वीकार की जाकर विद्वान तहत अदालत का निर्णय खसरा नम्बर 1919 की सीमा तक निरस्त किया जाकर वादनी लक्ष्मी को खसरा नम्बर 1919 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम कान्हडका का खातेदार घोषित किया जाता हे। इसी प्रकार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जाता है, शेष निर्णय व डिक्री खसरा नम्बर 1918, 1979 बदस्तुर बहाल रखी जाती है। अपील संख्या 04/2008 निरस्त की जाती हें तहत अदालत खसरा नमबर 1915 व 1919 के कुरेजात प्राप्त कर अंतिम डिक्री जारी करने की कार्यवाही पृथक से की जावे। पर्चा डिक्री तैयार की जावे। आदेश की प्रति संलग्न वादपत्र है। और उपरोक्त निर्णय दिनांक 25.02.2008 के अनुपालना में विवादित आराजी की बाबत नामान्तकरण खातेदारी संख्या 2229 दिनांक 01.12. 2017 को डिक्री न्यायालय के आधार पर प्रतिवादीया संख्या 01 के नाम दर्ज वो स्वीकार फरमाया गया हें जिसका ज्ञान दिनांक 05.01.2008 को हल्का पटवारी से रिकोर्ड की जानकारी करने पर मिन वादिया को हुआ उसके बाद समस्त राजस्व कागजातो की नकल दिनांक 08.01.2018 तक प्राप्त कर यह दावा अविलम्ब ही अदालत श्रीमानमें पेश किया जा रहा है। मिन वादिया अपने खरीदशुद्वा रकबे पर वक्त खरीद से बदस्तूर आज तक काबिज काश्त हूँ। ऐसी सूरत में मिन वादिया विक्रयपत्र दिनाकित 20.12.2013 के आधार पर अपने नाम का नामान्तकरण खातेदारी राजस्व रिकोर्ड पत्रादि में दर्ज कराकर अपने नाम का अंकन खातेदारी दर्ज्र कराने की व खरीदशुद्वा आराजी तक प्रतिवादिया संख्या 1 का नाम राजस्व रिकोर्डस से कलमजन करवाने की अधिकारणी हू। इसलिये मिन वादी को यह दावा इश्तकरारहक अदालत श्रीमान में दायर करना लाजिम आया है। दिनाक 12. 01.2018 को मिन वादिया को प्रतिवाददी संख्या 1 ने धमकी दी कि विवादित आराजी राजस्व रिकोर्डस में मेरे नाम है जिसको मै दीगर लोगो को बेचान करूगी। यदि प्रतिवादीगण अपने इस बेजा नापाक चेष्ठा में सफल हो गये तो मिन वादिया के हक आराजी सदैव के लिये समाप्त हो जायेगे। वादिया को अपूरणीय क्षति होगी कि सिकी कीमत रूप्यो मे ऑकी जाना संभव नही होगा। इसलिये मिन वादीया, प्रतिवादीगणो का जरिये हुक्मईतनाई दवामी से पाबन्द करवाने की अधिकारणी नही हु इसलिये मिन वादिया को यह दावा हुक्मईम्तनाई दवामी अदालत श्रीमान में पेश करना लाजिम आया है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

वादी के द्वारा अनुतोष चाहा गया है कि :–

अ– यह है कि डिक्री इजराय इश्तकरार हक मय दुरूस्ती इन्द्राज पारित किया जाकर आराजी हाल खसरा नम्बर 1919 रकबा 0.6600 है0 के 1/4 भाग में से 0.1500 है0 वाके ग्राम कान्हडका तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 का वादिया का रजिस्टर्ड बैयनामा क्रमांक 3440 दिनांक 20.12.2013 के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व इसी कदर वादिया के नाम का अमलल दरामद राजस्व रिकोर्डस में किया जावे व इस हद तक प्रतिवादीया सख्या 1 का नाम राजस्व रिकोर्डस जमाबन्दीयात से कलमजन किया जावे।

ब–डिक्री इजराय हुक्म ईम्तनाई दवामी पारित की जाकर प्रतिवादीगणो का जरिये हुक्म ईम्तनाई दवामी से पाबन्द फरमाया जावे कि वो विवादित आराजी को कही दीगर जगह रहन बैय हिब्बा लीज इत्यादि द्वारा मुन्तकिल ना करे, मौका व राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति कायम रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी करवाए जाने के बाद प्रतिवादी उपस्थित होकर प्रशासन गावं के संग अभियान 2021 के शिविर कान्हडका में राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है उक्त वाद में मेरे हिस्से में सहवस से खसरा नम्बर 1919 में सम्पूर्ण मेरे नाक कर दिया। जबकी खसरा नम्बर 1919 की सम्पूर्ण खातेदार नही हूं मुझे मेरे हिस्सा कि जमीन मेरे नाम छोड दी जावे और वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे। यह फैसला हमने प्रशासन नने समझाईस की ओर राजीनामा कराया हम इस फैसले से खूस हॅ। खसरा नमबर 1919 में मेरा हिस्सा 1/2 हिस्सा रख दिया जाये।

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में प्रदर्श–1 बैयनामा दिनाक 19.12.2013, प्रदर्श–2 नकल आदेश श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम दिनांक 13.08.2004, प्रदर्श–3 नकल राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर राज0 दिनांक 25.02.2008, प्रदर्श–4 नकल हाल जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 पेश किये। जो शामिल मिसल है।

आज यह पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान 2021 के शिविर ग्राम पंचायत कान्हडका दिनांक 24.11.2021 को पेश हुई। वकील वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दौहराते हुये विवादित आराजी में उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने का निवेदन किया गया।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किये जाने पर वादी विवादित आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 01 को आवंटन होने की स्थिति वादी के वाद का यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

–:: निर्णय ::–

अतः वाद वादी बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादी डिक्री किया जाता है एव आराजी हाल खसरा नम्बर 1919 रकबा 0.6600 है0 के 1/4 भाग में से 0.1500 है0 वाके ग्राम कान्हडका तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 का

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

वादिया का रजिस्टर्ड बैयनामा क्रमांक 3440 दिनांक 20.12.2013 के आधार पर वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व विवादित आराजी में हो रहे प्रतिवादीया के अंकन में से उक्तानुसार हिस्से को हजफ कर वादीया के नाम से हाल राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादीगण को हुक्मईम्तनाई से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीया के हिस्से में आई आराजी के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा ना करे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 24.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज0

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :— गगांधर मीणा (R.A.S.)

दावा सख्या 13 / 2018

रजू दिनांक 16.01.2018

पर्चा डिक्री दिनांक 24.11.2021

उनवान

1. लक्ष्मी देवी पत्नी श्री लालाराम जाति अहीर निवासी ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

—: वादी

बनाम

1. लक्ष्मी पुत्री लेखराम पत्नी सतीश जाति ब्राहमण निवासी ग्राम कान्हाडका तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
2. तहसीलदार कोटकासिम लैण्ड हौल्डर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

.... प्रतिवादीगण

वाद इश्तकरार हक् मय दुरुस्ती बमय हुक्म ईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: पर्चा डिक्री :—

वादी की ओर से **श्री मनोज कुमार एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादी स्वयं **उपस्थिति** में इस वाद में **आज दिनांक 24.11.2021** को **श्री गंगाधर मीणा, उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है **और पर्चा डिक्री दी जाती है**:—

आराजी हाल खसरा नम्बर 1919 रकबा 0.6600 है0 के 1/4 भाग में से 0.1500 है0 वाके ग्राम कान्हडका तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 का वादिया का रजिस्टर्ड बैयनामा क्रमांक 3440 दिनांक 20.12.2013 के आधार पर वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व विवादित आराजी में हो रहे प्रतिवादीया के अंकन में से उक्तानुसार हिस्से को हजफ कर वादीया के नाम से हाल राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादीगण को हुक्मईम्तनाई से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीया के हिस्से में आई आराजी के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा ना करे।

यह प्राथमिक पर्चा डिक्री आज दिनांक 24.11.21 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम, अलवर, राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :– गंगाधर मीणा (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
13 / 2018	16.01.2018	24.11.2021

उनवान

1. लक्ष्मी देवी पत्नी श्री लालाराम जाति अहीर निवासी ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0। –: वादी

बनाम

1. लक्ष्मी पुत्री लेखराम पत्नी सतीश जाति ब्राहमण निवासी ग्राम कान्हाडका तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
2. तहसीलदार कोटकासिम लैण्ड हौल्डर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

.... प्रतिवादीगण

वाद इश्तकरार हक मय दुरूस्ती बमय हुक्म ईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से **श्री मनोज कुमार एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादी स्वयं **उपस्थिति** में इस वाद में **आज दिनांक 24.11.2021** को **श्री गंगाधर मीणा, उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और पर्चा डिक्री दी जाती है:–

आराजी हाल खसरा नम्बर 1919 रकबा 0.6600 है0 के 1/4 भाग में से 0.1500 है0 वाके ग्राम कान्हडका तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 का वादिया का रजिस्टर्ड बैयनामा क्रमांक 3440 दिनांक 20.12.2013 के आधार पर वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व विवादित आराजी में हो रहे प्रतिवादीया के अंकन में से उक्तानुसार हिस्से को हजफ कर वादीया के नाम से हाल राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादीगण को हुक्मईम्तनाई से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीया के हिस्से में आई आराजी के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा ना करे।

यह प्राथमिक पर्चा डिक्री आज दिनांक 24.11.21 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम, अलवर, राज0